

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

प्रारूप-6

राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित लोक सेवक प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाही है। निम्नांकित लोक सेवक राजस्थान सिविल सेवा नियम (पेंशन) नियम 1996 के नियम 50(1) प्रावधानान्तर्गत शर्तें पूर्ण करने पर एवं इनके स्वयं की प्रार्थना पर इनके नाम के सामने कॉलम संख्या 6 में अंकित दिनांक से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृत की जाती है :-

क्र० स०	लोक सेवक का नाम व पदस्थापन स्थान	पद	जन्म तिथि	राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाहने की दिनांक
1.	श्री जगदीश सिंह कैन्थ प्रधानाचार्य रा.आदर्श उ.मा.वि. पीरकामडिया,(हनुमानगढ़) (व.क.619/1994-95 व्या)	प्रधानाचार्य	06.05.62	08.02.90	03.07.2019
2	श्री दामोदर प्रसाद तिवाड़ी प्रधानाचार्य रा.उ.मा. वि. बिदियाद (नागौर) व.क.2111/94-96 व्या.	प्रधानाचार्य	21.05.62	01.07.85	15.07.2019

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त नामित शिक्षा सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध आज तक :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम -16के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण एवं अपील) नियम -19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन /लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहिया विचाराधीन/लम्बित नहीं है।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

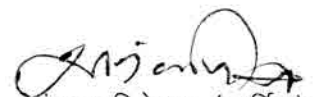
माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/मा/संस्था/ए-2-7/स्वैच्छिक सेनि/2019

दिनांक : 07-06-2019

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संबंधित संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग
2. संबंधित संयुक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग
3. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) मुख्यालय
5. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
6. संबंधित संस्था प्रधान /अधिकारी
7. अनुभाग अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत
8. अनुभाग अधिकारी विज्ञांच/वरिष्ठता अनुभाग कार्यालय हाजा
9. प्रभारी बी-1/II कार्यालय हाजा।
10. रक्षित पत्रावली।



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर